



## \*टिप्पणी / NOTES

1. कृपया हर प्रकार के भुगतान के लिए अलग-अलग चालान का प्रयोग करें ।  
Please use a separate challan for each type of payment.
2. कृपया नोट करें कि आपका स्थायी लेखा संख्या दर्शाना अनिवार्य है ।  
Please note that quoting your Permanent Account Number (PAN) is mandatory.
3. शेयर बाजार और पारस्परिक निधियां प्रतिभूति संव्यवहार कर जमा करते समय, भुगतान निर्देशन के अधीन (0034) प्रतिभूति संव्यवहार कर और स्वयं निर्धारण कर (300) पर निशान लगायें।  
Stock Exchange and Mutual Funds while depositing Securities Transaction Tax, may tick (0034) Securities Transaction Tax and Self Assessment Tax (300) under Type of Payment.
4. कृपया नोट करें कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 272 बी के अनुसार झूठा स्थायी लेखा संख्या दर्शाने पर 10000/- रुपये के दंड की व्यवस्था है ।  
Please note that quoting false PAN may attract a penalty of Rs. 10,000/- as per section 272B of I.T. Act, 1961.

कृपया इस चालान का प्रयोग पूर्व पृष्ठ पर दर्शायें करें ( भुगतान निर्देशन ) को जमा कराने के लिए करें । कृपया इस चालान का प्रयोग स्रोत पर काटे गए कर ( टी डी एस ) को जमा कराने के लिए नहीं करें ।)

**PLEASE USE THIS CHALLAN FOR DEPOSITING TAXES (TYPES OF PAYMENT) MENTIONED OVERLEAF. KINDLY DO NOT USE THIS CHALLAN FOR DEPOSITING TAX DEDUCTION AT SOURCE (TDS)**

कृपया जांच करें कि बैंक पावती में निम्नलिखित सूचना उपलब्ध है :-

1. बैंक शाखा का 7 अंक की बी एस आर कोड
2. चालान जमा करने की तारीख ( दिन, माह, वर्ष )
3. चालान क्रम संख्या

आपको इसका आय की विवरणी में उल्लेख करना होगा।

**KINDLY ENSURE THAT THE BANK'S ACKNOWLEDGEMENT CONTAINS THE FOLLOWING:-**

1. 7 DIGIT BSR CODE OF THE BANK BRANCH
2. DATE OF DEPOSIT OF CHALLAN (DD MM YY)
3. CHALLAN SERIAL NUMBER

**THESE WILL HAVE TO BE QUOTED IN YOUR RETURN OF INCOME.**